प्रेसनोट थाना लोहामंडी जनपद आगरा।   दिनांक 08.06.2022

थाना लोहामंडी द्वारा सरकारी संस्थाओ द्वारा खोदे गये गड्डे में बच्चे के गिरने से हुयी मौत के सम्बन्ध में 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 06.06.2022 को वादी द्वारा थाना लोहामंडी पर तहरीर दी कि मेरा बेटा जीशान दुकान से सामान लेने गया था। दुकान के बाहर जल कल निगम का कार्य चल रहा था। जिसने पिछले 01 महीने से अवैध तरीके से गड्डा खोद रखा था। उसमें गिर के प्रार्थी के बच्चे की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पर मु0अ0सं0 97/22 धारा 304(ए) भादवि पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लोहामंडी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

विवेचनात्मक कार्यवाही बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल व बयान चक्षुदर्शी साक्षी से कार्यदायी संस्थाओ की घोर लापरवाही से उपहति होना पाया गया व गढ्ढे का खुदवाया जाना (जिसमे डूब कर बच्चे की मृत्यु हुई है) बी0एस0एन0एल0 के लिये काम करने वाली प्रवर इलैक्ट्रोनिक्स के प्रत्यूष शर्मा व मनीषा कन्सट्रक्शन कम्पन्नी के सुपरवाइजर देवेश पचौरी द्वारा पाया गया, इनके द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं हो पाने पर आवश्यक बैरीकेटिंग करा देनी चाहिये थी। जिसके लिए आस पास के लोगो के कहने के बावजूद भी गढ्ढे को नही भरवाया गया न ही सुरक्षा के कोई इन्तजाम किये गये जिससे मौके पर घनी बस्ती से गुजरने वाले राहगीर फिसलन भरे मिट्टी के रास्ते से काफी कठिनाई से गुजर रहे थे और खतरा लगातार बना हुआ था स्थानीय लोगों के अनुसार एक दो दिन पहले भी स्कूटी सवार एक बुजुर्ग वहाँ गिरे थे जिनको समय रहते निकाल लिया गया था। इनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए घोर लापरवाही बरती गयी है जिसके कारण गढ्ढे में गिरकर मासूम बच्चे की मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर मुकद्दमा उपरोक्त मे प्रत्यूष शर्मा व देवेश पचौरी सुपरवाईजर मनीषा प्रोजेक्ट सम्बन्धित जल निगम के नाम प्रकाश मे आये है ।जिसमें प्रत्युष शर्मा की गिरफ्तारी की गयी है।

विवेचना के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 304(ए) भादवि को 304 भादवि में परिवर्तित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. प्रत्यूष शर्मा पुत्र भजनलाल शर्मा निवासी आवास विकास कालौनी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 97/22 धारा 304 भादवि थाना लोहामंडी जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिलोकी सिंह थाना लोहामंडी जनपद आगरा।
02. उ0नि0 गौरव कुमार थाना लोहामंडी जनपद आगरा।
03. का0 विनय कुमार थाना लोहामंडी जनपद आगरा।
04. रि0का0 सोनू चौधरी थाना लोहामंडी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।